ओडीओपी उद्यमियों के लिए टोल-फ्री सुविधा शुरू

राज्य मुख्यालय | प्रमुख संवाददाता

1800-1800-888

पर उद्यमी ले सकते हैं जानकारी

राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) उद्यमियों की सुविधा के लिए अलग से टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1800-888 शुरू किया गया है। पहले सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विभाग द्वारा संचालित टोल-फ्री नंबर पर यह सुविधा उपलब्ध थी। स्वतंत्र रूप से ओडीओपी उद्यमियों लिए टोल-फ्री नंबर शुरू होने से उद्यमियों की जिज्ञासाओं का समाधान त्वरित गति से हो सकेगा।

प्रमुख सचिव नवनीत सहगल ने बताया कि टोल-फ्री नंबर का क्रियान्वयन मुख्यालय से सुनिश्चित किया जाएगा। इस पर प्राप्त होने वाली शिकायतों को प्राथमिकता से हल करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि टोल-फ्री नंबर 24 घंटे काम करेगा। इसके माध्यम से ओडीओपी उद्यमियों की समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर कराने को प्राथमिकता दी गई है।

Hindustan | Page-2 | 12.11.2019